

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 6

प्रशासन के सुदृढीकरण के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 398.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,98,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7 से 10

प्राथमिक शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 1153.45 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,53,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11 से 14

माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 338.95 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,38,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15 से 19

आश्रम शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 204.90 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,04,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20

एकलव्य आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21 से 24

10 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास प्रारंभ करने हेतु रूपये 400 प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	अधीक्षक (शिक्षा कर्मी वर्ग-2)	10	4500-7000
2	रसोईया	10	आकस्मिकता स्थापना
3	पानीवाला	10	आकस्मिकता स्थापना
4	चौकीदार	10	आकस्मिकता स्थापना
	योग	40 पद	

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25

हाईस्कूल की बालिकाओं को सायकल क्रय हेतु रूपये 2400 प्रति छात्रा नगद अनुदान के लिये रूपये 402.60 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किय जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 26

हाईस्कूल की बालक को सायकल क्रय हेतु रूपये 2400 प्रति छात्रा नगद अनुदान के लिये रूपये 9.50 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किय जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27 से 29

शिक्षा का व्यवसायीकरण योजना के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 27.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 27,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 30

रामानुजनगर जिला सरगुजा में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु 50.00 लाख का व्यय संभावित है । 19 पदों की स्वीकृति हेतु रूपये 100 प्रतीक रूप में आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	प्राचार्य	12000-18300	01
2	सहायक प्राध्यापक	8000-13500	10
3	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	01
4	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
5	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	4000-6000	03
7	भृत्य	2550-3200	02
	योग		19

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 31 से 33

आदिवासी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के कुल 399 पदों के सृजन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रूपये 300 का प्रतीक रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 300 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 34

एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 1132.57 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,32,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 35

माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 87.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 87,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 36

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 37 से 38

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं राज्यांश राशि हेतु रूपये 3200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 39

राज्य के गरीब परिवारों को रियायती दर में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत राशि रूपये 135.25 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,35,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 40 से 42

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के कार्यालयों वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 269.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 43

अनुसूचित जनजाति कन्या/बालक छात्रावास के 40 भवनों एवं कन्या/बालक/संयुक्त आश्रम के 25 भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 2926.66 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

बालक छात्रावास

क्र.	संस्था का नाम	जिला	स्वीकृत सीट	लागत
1	बालक छात्रावास, जारग	दंतेवाड़ा	50	40.04
2	बालक छात्रावास, गोडरे	दंतेवाड़ा	50	40.04
3	बालक छात्रावास, मेटापाल	दंतेवाड़ा	50	40.04
4	बालक छात्रावास, छोटेतुमनार	दंतेवाड़ा	50	40.04
5	बालक छात्रावास, फरसपाल	दंतेवाड़ा	50	40.04
6	बालक छात्रावास, सिरीसगुड़ा	जगदलपुर	50	40.04
7	बालक छात्रावास, बिंझे	जगदलपुर	50	40.04
8	बालक छात्रावास, सोरगांव	जगदलपुर	50	40.04
9	बालक छात्रावास, भाटपाल	नारायणपुर	50	40.04
10	बालक छात्रावास, रेमावंड	नारायणपुर	50	40.04
11	बालक छात्रावास, नारायणपुर (अबुझमाड़िया)	नारायणपुर	50	40.04
12	बालक छात्रावास, गंगालूर	बीजापुर	50	40.04
13	बालक छात्रावास, बीजापुर	बीजापुर	50	40.04
14	बालक छात्रावास, छोटेबेटिया	कांकेर	50	40.04
15	बालक छात्रावास, पानाबरस	राजनांदगांव	50	40.04
16	बालक छात्रावास, रमकोला	सरगुजा	50	40.04
	योग:-		800	656.64

कन्या छात्रावास,

17	कन्या छात्रावास, मरदापाल	जगदलपुर	50	40.04
18	कन्या छात्रावास, माकड़ी	जगदलपुर	50	40.04
19	कन्या छात्रावास, उरदाबेडा	जगदलपुर	50	40.04
20	कन्या छात्रावास, विश्रामपुरी	जगदलपुर	50	40.04
21	कन्या छात्रावास, भाटपाल	नारायणपुर	50	40.04
22	कन्या छात्रावास, नारायणपुर (अबुझमाड़िया)	नारायणपुर	50	40.04

23	कन्या छात्रावास, कुटुरू	बीजापुर	50	40.04
24	कन्या छात्रावास, कोसलनार	बीजापुर	50	40.04
25	कन्या छात्रावास, छोटेतुमनार	दंतेवाड़ा	50	40.04
26	कन्या छात्रावास, परसेगढ़	दंतेवाड़ा	50	40.04
27	कन्या छात्रावास, पालनार	दंतेवाड़ा	50	40.04
28	कन्या छात्रावास, कुमाकोलेंग	दंतेवाड़ा	50	40.04
29	कन्या छात्रावास, टोंगपाल	दंतेवाड़ा	50	40.04
30	कन्या छात्रावास, जाड़ेकुर्से	कांकर	100	61.10
31	कन्या छात्रावास, बोरतलाब	राजनांदगांव	50	40.04
32	कन्या छात्रावास, पशुरामपुर	सरगुजा	50	40.04
33	कन्या छात्रावास, कटगोड़ी	कोरिया	50	40.04
34	कन्या छात्रावास, हाटी	रायगढ़	50	40.04
35	कन्या छात्रावास, रेंगाखार	कबीरधाम	50	40.04
36	कन्या छात्रावास, सन्ना	जशपुर	50	40.04
37	कन्या छात्रावास, उसाड	बिलासपुर	50	40.04
38	कन्या छात्रावास, मैनपुर	रायपुर	50	40.04
39	कन्या छात्रावास, गटासिल्ली	धमतरी	50	40.04
40	कन्या छात्रावास, तेंदुकोना	महासमुंद	50	40.04
	योग:-		1250	1005.02
	महायोग:-		2050	1661.66

बालक/ संयुक्त आश्रम शाला

1	पेटमापारा	दंतेवाड़ा	50	50.60
2	टिकनपाल	दंतेवाड़ा	50	50.60
3	कोड़नार	दंतेवाड़ा	50	50.60
4	टिकनापाल	दंतेवाड़ा	50	50.60
5	किंदरावाड़ा	दंतेवाड़ा	50	50.60
6	बड़ेपनेरा	दंतेवाड़ा	50	50.60
7	पोलमपल्ली	बीजापुर	50	50.60
8	तालनार	बीजापुर	50	50.60
9	बारदा	जगदलपुर	50	50.60
10	पालकोट	जगदलपुर	50	50.60
11	बड़ेटोंडाबेड़ा	नारायणपुर	50	50.60
12	पोंडागांव	कांकर	50	50.60
13	हाटकौंदल	कांकर	50	50.60

कन्या आश्रम शाला

14	चिकपाल	दंतेवाड़ा	50	50.60
15	हिरी	जगदलपुर	50	50.60
16	जक्के	राजनांदगांव	50	50.60
17	खोड	सरगुजा	50	50.60
18	सरंडी	कांकर	50	50.60
19	एडका	नारायणपुर	50	50.60
20	हल्दीबाजार	कोरबा	50	50.60

21	छुईपाली (सिंघोरा)	महासमुंद	50	50.60
22	बेरई	धमतरी	50	50.60
23	खाडा	कोरिया	50	50.60
24	मुंगेली	बिलासपुर	50	50.60
25	नेऊर	कबीरधाम	50	50.60
योग:-			1250	1265.00

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 44

एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 507.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,07,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 45

माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 38.80 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 38,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 46

आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 3.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 47

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार हेतु अधोसंरचना विकास के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 303.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,03,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।